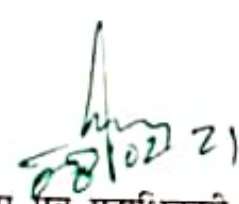


अचल अधिकारी का कार्यालय, कुण्डहित

आदेश फलक

निलामपत्र वाद संख्या 235/2015-16

आदेश की क्रमांक संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
08-02-21	जिला निलाम पत्र पदाधिकारी, जामताड़ा के पत्रांक- 82/ जि0नि0 दिनांक 28.11.2017 द्वारा निलाम पत्र दायर करने हेतु सूची प्राप्त हुआ है। सूची के अनुसार श्री / श्रीमती/ सुश्री <u>बाटका वागती</u> पिता/ पति- <u>रविमन्त वागती</u> ग्राम- <u>बनकाठी</u> पो0- <u>कुण्डहित</u> जिला- <u>जामताड़ा</u> द्वारा बैंक से <u>27760/-</u> रुपया लिया गया है। ऋण वसूली हेतु देनदार को नॉटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक को उपस्थापित करें।  निलाम पत्र पदाधिकारी	

Pto

आदेश का क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर के कारवाई के ब रिणगी, तारी सहित
28.05.25	अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि काफी दिनों से अभिलेख में किसी प्रकार की कार्रवाही नहीं की गई है। नीलाम पत्र संवंधी समीक्षात्मक बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में बकायेदारों की सूची उपलब्ध कराते हुए संबंधित शाखा प्रबंधक से बाद में सन्निहित राशि की अद्यतन वसूली / सामंजित राशि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग करें। अगली तिथि दिनांक- 23.06.25 को रखें। लेखापति।  नीलाम पत्र पदाधिकारी, -सह- अंचल अधिकारी, कुण्डहित।  नीलाम पत्र पदाधिकारी -सह- अंचल अधिकारी, कुण्डहित।	
23.06.25	अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख में अग्रोत्तर कार्रवाही के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक- 406 / रा०. दिनांक- 30.05.25 द्वारा संबंधित बैंक को बकायेदारों की सूची उपलब्ध कराते हुए अद्यतन वसूली / सामंजित राशि तत्परतात बकाया रहित अनापति प्रमाण पत्र (NOC) उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक <u>कुण्डहित</u> द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बाद सं० 235/15.16 के दनदार श्री/श्री/श्रीमती <u>दयका</u> <u>वावाती</u> सम्पूर्ण बकाया राशि जमा कर दी गई है। अतः दनदार द्वारा बाद में सन्निहित राशि जमा कर दिये जाने तथा शाखा प्रबंधक- <u>कुण्डहित</u> द्वारा समर्पित बकाया रहित अनापति प्रमाण पत्र (NOC) के आलोक में इस बाद की कार्रवाही <u>समाप्त</u> की जाती है। पंजी X में भी इन्द्राज करें। लेखापति।  नीलाम पत्र पदाधिकारी, -सह- अंचल अधिकारी, कुण्डहित।  नीलाम पत्र पदाधिकारी -सह- अंचल अधिकारी, कुण्डहित।	